

परिशिष्ट

प्रारूप-1

लोक प्राधिकरणों, राज्य लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों की सूची

विभाग का नाम

विभाग के अधीन लोक प्राधिकरणों के नाम	प्रत्येक लोक प्राधिकरण के लिए नियुक्त किये गये राज्य लोक सूचना अधिकारी		प्रत्येक लोक प्राधिकरण के लिए नियुक्त किये गये प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	
	पदनाम	पता/फोन नं०	पदनाम	पता/फोन नं०
1	2	3	4	5

प्रारूप-2

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध

सेवा में,

राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम और कार्यालय का पता

.....

1. आवेदक का पूरा नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. पता.....

4. ई-मेल पता, यदि कोई हो.....
5. दूरभाष संख्या और/या मोबाइल संख्या.....
6. माँगी गयी सूचना का ब्यौरा (यदि आवश्यक हो तो पृथक पृष्ठ भी संलग्न करें).....

7. क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से सम्बंधित है : हाँ/नहीं
 यदि 'हाँ' तो उसका कारण.....

8. जमा की गयी फीस का ब्यौरा.....
9. क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल) की श्रेणी का है ? हाँ/नहीं
 (यदि हाँ तो बी.पी.एल प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. संलग्नकों की सूची.....

.....

.....

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

पावती

श्री.....निवासी.....से

दिनांक.....को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अधीन सूचना की माँग हेतु आवेदन पत्र जो क्रमांक.....पर पंजीकृत है, प्राप्त किया ।

दिनांक.....

राज्य लोक सूचना अधिकारी का

हस्ताक्षर और पूरानाम

प्राधिकारिक मुद्रा

प्रारूप-4

किसी अन्य लोक प्राधिकरण को आर0टी0आई0 आवेदन का स्थानान्तरण

सेवा में,

.....

(उस राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम और
 पता जिसको आवेदन स्थानान्तरित किया जा रहा है)

महोदय,

कृपया श्री.....
(आवेदक का नाम और पता)
 का संलग्न आवेदन, दिनांक.....(पंजीकरण संख्या.....) जिसके द्वारा
 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अधीन सूचना मांगी जा रही है,
 प्राप्त करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त आवेदन आपको स्थानान्तरित किया जा रहा है क्योंकि मांगी गयी सूचना के
 क्रमांककी विषय-वस्तु आपके विभाग/कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने उक्त अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त करने
 के लिएरूपये (.....रूपये मात्र) फीस/के रूप में भुगतान किया है जिसे
 सरकारी कोषागार/ लेखा में जमा कर दिया गया है।

भवदीय

()

दिनांक:

राज्य लोक सूचना अधिकारी
 विभाग/कार्यालय का नाम और पता
 टेलीफोन न0.....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:—

.....

(आवेदक का नाम और पता)

चूँकि आप के उपरोक्त आवेदन में वांछित सूचना क्रमांक इस विभाग /कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं पड़ती है अतः उसे क्षेत्राधिकार से सम्बंधित लोक प्राधिकरण के राज्य लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित कर दिया गया है । अनुरोध है कि आप ऊपर उल्लिखित राज्य लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क करें।

()

राज्य लोक सूचना अधिकारी

विभाग /कार्यालय का नाम और पता

प्रारूप-5

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन मांगी गयी
सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रारूप

पत्र संख्या.....

दिनांक.....

प्रेषक,

.....
.....
.....

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन
सूचना उपलब्ध कराने वाले राज्य लोक सूचना अधिकारी
का पदनाम, पता ओर दूरभाष संख्या)

सेवा में,

.....
.....
.....
.....

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के
अधीन सूचना मांगने वाले आवेदक का नाम और पता)

महोदय / महोदया,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के
सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित, क्रमांक.....पर पंजीकृत अपने आवेदन
दिनांक.....का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

आप द्वारा मांगी गयी सूचना दी जाती है, जो निम्नवत है :

.....
.....
.....
.....

(यदि उपर्युक्त स्थान अपर्याप्त हो तो पृथक पृष्ठ संलग्न किये जा सकते हैं)

यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप सम्बंधित अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है :

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या

.....
.....
.....

भवदीय,

.....
.....

प्रारूप-6

सूचना उपलब्ध कराये जाने की लागत हेतु अतिरिक्त फीस का मांगपत्र

पत्र संख्या.....

दिनांक.....

प्रेषक,

.....

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन
 सूचना उपलब्ध कराने वाले राज्य लोक सूचना अधिकारी
 का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या)

सेवा में,

.....

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन
 सूचना मांगने वाले आवेदक का नाम और पता)

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित, क्रमांक.....पर पंजीकृत अपने आवेदन दिनांक.....का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006 के अपबन्धों के अनुसार आप से अनुरोध है कि आप सूचना उपलब्ध कराये जाने की लागत के रूप में रू0.....(रूपये.....केवल) की अतिरिक्त फीस नीचे दी गयी गणना के अनुसार जमा कर दें:

.....

उपर्युक्त फीस निम्न अधिकारी को संदेय पोस्टल आर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जमा की जा सकती है :

.....

यदि आपको इस मांग के विरुद्ध कोई आपत्ति है तो आप अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं जिनका पता निम्नवत है:

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या

.....

.....

.....

भवदीय,

.....

.....

प्रारूप-7

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन मांगी गयी सूचना
के अनुरोध को नामंजूर किये जाने की सूचना

पत्र संख्या.....

दिनांक.....

प्रेषक,

.....

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन
 सूचना उपलब्ध कराने वाले राज्य लोक सूचना अधिकारी
 का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या)

सेवा में,

.....

महोदय/महोदया,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित, क्रमांक.....पर पंजीकृत अपने आवेदन दिनांक.....का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको खेद के साथ सूचित किया जाता है कि आप द्वारा मांगी गयी सूचना नीचे उल्लिखित कारण/कारणोंसे उपलब्ध नहीं करायी जा सकती :

.....

यदि आप उपर्युक्त विनिश्चय से क्षुब्ध हैं तो आप अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है :

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, पता तथा दूरभाष संख्या

.....
.....
.....

भवदीय,

.....
.....

प्रारूप-8

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 10(2) के अधीन नोटिस

पत्र संख्या.....

दिनांक.....

प्रेषक,

.....

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन
 सूचना उपलब्ध कराने वाले राज्य लोक सूचना अधिकारी
 का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या)

सेवा में,

.....

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन
 सूचना मांगने वाले आवेदक का नाम और पता)

महोदय / महोदया,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित, क्रमांक.....पर पंजीकृत अपने आवेदन दिनांक.....का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे आपको अवगत कराना है कि आप द्वारा मांगी गयी सूचना का निम्न भाग प्रकट किये जाने से छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत आता है :

.....

तदनुसार हमने आपको सूचना के केवल उसी भाग को पृथक रूप से उपलब्ध कराया है जो प्रकटन से छूट-प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त विनिश्चय का कारण निम्नवत् है :

.....

यदि आपको इस विनिश्चय के विरुद्ध कोई आपत्ति है तो आप अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत् है :-

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या :

.....

भवदीय,

.....

प्रारूप-9

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 11(1) के अधीन पर व्यक्ति को नोटिस

पत्र संख्या.....

दिनांक.....

प्रेषक,

.....

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन
 सूचना उपलब्ध कराने वाले राज्य लोक सूचना अधिकारी
 का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या)

सेवा में,

.....

(पर व्यक्ति का नाम व पता)

महोदय/महोदया,

चूँकि श्री/श्रीमती....., निवासी.....
 ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन, अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक.....
 को आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा आपसे सम्बंधित/आप द्वारा उपलब्ध कराई गयी
 निम्नलिखित सूचना/अभिलेख की मांग की गयी है :-

.....

 और चूँकि अधोहस्ताक्षरी का आशय उपर्युक्त सूचना/अभिलेख या उसके भाग को आवेदक
 को प्रकट करने का है;

अतएव, अब, एतद्द्वारा आपसे इस बिन्दु पर लिखित या मौखिक निवेदन करने की अपेक्षा
 की जाती है कि उक्त सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं।

उक्त प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध आप द्वारा निवेदन या अभ्यावेदन इस नोटिस की प्राप्ति
 के दिनांक के दस दिन के भीतर किया जायेगा, व ऐसा न करने पर अधोहस्ताक्षरी

अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बिना किसी अग्रतर सूचना के मामले में विनिश्चय कर देगा।

यदि आपको इस विनिश्चय के विरुद्ध कोई आपत्ति है तो आप अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं जिनका पता निम्नवत् है :-

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, पता और दूरभाष संख्या:

.....
.....

भवदीय,

.....
.....

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाए)

प्रारूप-10

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अधीन शिकायत

सेवा में,

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग,

.....

.....

लखनऊ ।

क : शिकायतकर्ता से सम्पर्क हेतु आवश्यक विवरण :

1-शिकायतकर्ता का नाम	
2-डाक का पता, सेल-फोन नम्बर और ई-मेल पता (यदि कोई हो)	

ख : शिकायत का विवरण :

1-उस राज्य लोक सूचना अधिकारी का विवरण, जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी है	नाम (यदि उपलब्ध हो)	
	पदनाम	
	पता	
2-यदि अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अपील की गयी हो, तो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण	नाम (यदि उपलब्ध हो)	
	पदनाम	
	पता	
3- अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक		
4-क्या अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन पर राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया था ?	हाँ / नहीं (यदि हाँ तो राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति अवश्य संलग्न की जाए)	
5-शिकायत का संक्षिप्त ब्यौरा	
6-शिकायत के आधार (यदि उपर्युक्त स्थान पर्याप्त न हो तो पृथक पृष्ठ लगायें)	
7-प्रार्थना या मांगा गया अनुतोष	

8-कोई अन्य सूचना जो शिकायतकर्ता सुसंगत समझता हो	
9-उन दस्तावेजों की सूची जो शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी हो और जिन पर वह निर्भर हो	<p>1-अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु प्रस्तुत किये गये अनुरोध की प्रति</p> <p>2-राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित आदेश यदि कोई हो, की प्रति</p> <p>3-धारा 19(1) के अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष फाइल की गयी अपील, यदि कोई हो, की प्रति।</p> <p>4-प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, यदि कोई हो, की प्रति</p> <p>5-कोई अन्य दस्तावेज, जिन पर शिकायतकर्ता निर्भर हो।</p>

सत्यापन

मैं,.....(शिकायतकर्ता का नाम)
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
 निवासी.....

एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उपर्युक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन प्रस्तुत उपर्युक्त आवेदन के सम्बन्ध में कोई अन्य शिकायत फाइल नहीं की है और जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है शिकायत में उपलब्ध कराए गए ब्यौरे सत्य एवं सही हैं और मैंने कोई सारवान तथ्य छुपाया नहीं है।

स्थान :

दिनांक :

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर

प्रारूप-11

लौटाई गयी त्रुटिपूर्ण शिकायतों/अपीलों का रजिस्टर

वर्ष.....

क्रम संख्या	त्रुटिपूर्ण शिकायत/अपील की प्राप्ति का दिनांक	शिकायतकर्ता/अपीलार्थी का नाम और पता	शिकायत/अपील में इंगित त्रुटियों का संक्षिप्त ब्यौरा	त्रुटिपूर्ण शिकायत/अपील की वापसी का दिनांक एवं स्पीड-पोस्ट परेषण संख्या	आभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

प्रारूप-12

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18
के अधीन दायर की गयी शिकायतों का रजिस्टर

वर्ष.....

पंजीकरण संख्या	पंजीकरण का दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम और पता	उस राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम (यदि उपलब्ध हो) व पदनाम, जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई	आयुक्त का नाम जिनको शिकायत निस्तारण हेतु भेजी गई और उसके भेजे जाने का दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अधीन प्रथम अपील

सेवा में,

.....

(प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्यरत
 अधिकारी का पदनाम और पता)

क : अपीलार्थी से सम्पर्क हेतु आवश्यक विवरण :

1-अपीलार्थी का नाम	
2-डाक का पता, सेल-फोन नम्बर और ई-मेल पता (यदि कोई हो)	

ख : अपील का विवरण :

1-उस राज्य लोक सूचना अधिकारी का विवरण, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है	नाम (यदि उपलब्ध हो)	
	पदनाम	
	पता	
2-राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु अनुरोध प्रस्तुत करने का दिनांक (राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु प्रस्तुत अनुरोध की एक प्रति अवश्य संलग्न की जाए)		
3-अपील के आधार (यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जाए तो ऐसे आदेश की एक प्रति अवश्य फाइल की जाए) (यदि उपर्युक्त स्थान पर्याप्त न हो तो पृथक पृष्ठ लगायें)	
4-प्रार्थना या मांगा गया अनुतोष	
5-यदि अपील विहित अवधि के पश्चात फाइल की जा रही हो तो विलम्ब का कारण	
6-उन दस्तावेजों की सूची जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं और जिन पर वह निर्भर हो।		

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

.....

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाए)

प्रारूप-14

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के अधीन दूसरी अपील

सेवा में,

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग

.....

.....

लखनऊ ।

क : अपीलार्थी से सम्पर्क हेतु आवश्यक विवरण :

1-अपीलार्थी का नाम	
2-डाक का पता, सेल-फोन नम्बर और ई-मेल पता (यदि कोई हो)	

ख : द्वितीय अपील का विवरण :

1-उस प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है	नाम (यदि उपलब्ध हो)	
	पदनाम	
	पता	
2-सम्बंधित राज्य लोक सूचना अधिकारीका विवरण	नाम (यदि उपलब्ध हो)	
	पदनाम	
	पता	
3-अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष फाइल की गयी अपील का ब्यौरा (अपील की एक प्रति और अपील पर पारित आदेश, यदि कोई हो, की एक प्रति अवश्य संलग्न की जाए)	अपील का दिनांक	
	क्या अपील पर कोई आदेश पारित किया गया ? यदि हाँ, तो अपील पर पारित आदेश का दिनांक	
	अपील पर पारित आदेश की प्राप्ति का दिनांक	
4-यदि अपील विहित अवधि के पश्चात फाइल की जा रही हो तो विलम्ब के कारण	
5-अपील के आधार (यदि उपर्युक्त स्थान पर्याप्त न हो तो पृथक पृष्ठ लगायें)	

6-प्रार्थना या मांगा गया अनुतोष
7-उन दस्तावेजों की सूची जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये हों और जिन पर वह निर्भर हो	1-अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु प्रस्तुत किये गये अनुरोध की प्रति 2-राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित आदेश, यदि कोई हो, की प्रति 3-धारा 19(1) के अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष फाइल की गयी अपील की प्रति 4-प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील पर पारित आदेश, यदि कोई हो, की प्रति 5-कोई अन्य दस्तावेज, जिन पर अपीलार्थी निर्भर हो।

सत्यापन

मैं,.....(अपीलकर्ता का नाम)
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
निवासी.....

एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध कोई अन्य द्वितीय अपील दायर नहीं की है और जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है इस द्वितीय अपील में उपलब्ध कराए गए ब्यौरे सत्य एवं सही हैं और मैंने कोई सारवान तथ्य छुपाया नहीं है।

स्थान :

दिनांक :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

.....

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग

पक्षकारों को नोटिस

शिकायत / अपील पंजीकरण संख्या.....

श्री / श्रीमती..... शिकायतकर्ता / अपीलार्थी

बनाम

श्री / श्रीमती..... विपक्षी

प्रेषक,

रजिस्ट्रार,

उ०प्र० राज्य सूचना आयोग,

लखनऊ।

सेवा में,

.....
.....

चूँकि श्री / श्रीमती,

(पता) निवासी.....

द्वारा शिकायत / दूसरी अपील प्रस्तुत की गयी है और उसे इस आयोग में उपरोक्तानुसार पंजीकृत किया गया है;

और चूँकि उपर्युक्त शिकायत / दूसरी अपील पर सुनवाई कक्ष सं०.....में

श्री / श्रीमती.....

द्वारा सुनवाई की जा रही है;

और चूँकि उपरोक्त शिकायत / दूसरी अपील पर सुनवाई दिनांकको की

जाएगी;

अतएव अब, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :

- आपको उपरोक्त सूचना आयुक्त के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई के उपरोक्त दिनांक को पूर्वाह्न 10.00 बजे उपस्थित होने और उपर्युक्त शिकायत/अपील पर सुनवाई में सम्मिलित होने के लिए समन किया जाता है।
- उपरोक्त शिकायत/अपील की एक प्रति संलग्न है और आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त सूचना आयुक्त के समक्ष उसपर अपना लिखित कथन (दो प्रतियों में) सुनवाई के उपरोक्त दिनांक तक प्रस्तुत कर दें।
- आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सुनवाई के उपरोक्त दिनांक को निम्नालिखित दस्तावेज/सामग्री उपरोक्त सूचना आयुक्त को प्रस्तुत कर दें :

.....

(नोट : उपरोक्त में से जो अंश लागू न हो उसे काट दें)

ध्यान दें कि यदि आप ऊपर उल्लिखित दिनांक को अनुपस्थित रहते हैं तो आप की अनुपस्थिति में शिकायत/अपील की सुनवाई की जायेगी और उसका निस्तारण किया जायेगा।

दिनांक.....

कृते और की ओर से
 रजिस्ट्रार,
 उ०प्र० राज्य सूचना आयोग,
 लखनऊ।

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग

शिकायत / अपील पंजीकरण संख्या.....

श्री / श्रीमती..... शिकायतकर्ता / अपीलार्थी

बनाम

श्री / श्रीमती..... विपक्षी

प्रेषक,

रजिस्ट्रार

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग

.....

.....

लखनऊ।

सेवा में,

.....

.....

(उस अधिकारी का नाम, पदनाम और पता जिसके द्वारा
अधिरोपित की गयी शास्ति वसूल की जायेगी)

चूँकि श्री / श्रीमती,

(पता) निवासी.....

द्वारा शिकायत / दूसरी अपील प्रस्तुत की गयी थी और उसे इस आयोग में उपरोक्तानुसार पंजीकृत किया गया था;

और चूँकि उपर्युक्त शिकायत / अपील का विनिश्चय

श्री.....

की पीठ द्वारा किया जा चुका है जिनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति के अधिरोपण के लिए निम्न आदेश पारित किया गया है :

(क) उस राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम (यदि उपलब्ध हो), पदनाम और पता जिस पर शास्ति अधिरोपित की गयी

.....

(ख) अधिरोपित शास्ति की धनराशि, निर्धारित किस्तों सहित, यदि कोई हो

.....

उपर्युक्त आदेश की प्रति संलग्न है।

अतएव अब, आपसे अनुरोध है कि आप उपर्युक्त आदेश का अनुपालन करते हुए सम्बंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी के वेतन से उपर्युक्त शास्ति की धनराशि की कटौती करना सुनिश्चित करें और इस प्रकार वसूल की गई धनराशि को निम्नलिखित लेखा शीर्ष में जमा करें :

“0070— अन्य प्रशासनिक सेवायें, 60—अन्य सेवायें, 800—अन्य प्राप्तियाँ,
 15—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अधिरोपित शास्तियाँ”

आप से अग्रतर अनुरोध है कि आप आयोग के उपर्युक्त आदेश की अनुपालन आख्या इस पत्र के दिनांक के तीन माह के भीतर प्रेषित करें।

दिनांक.....

रजिस्ट्रार
 उ०प्र० राज्य सूचना आयोग